भाग तीन : खण् ड दो

वन् य ूाणी लेन देन और पशुओं की खाल में मसाला लगाने की कला, केन् िीय िनयम, 1973

[WILD LIFE (TRANSACTION AND TAXIDERMY) RULES, 1973]

कृिष मन् Sालय (कृिष िवभाग)

जी. एस. आर. 1987 (ई) िदनांक 9 अूैल, 1973, वन् य ूाणी (संरक्षण) अिधिनयम, 1972 (ब. 53, सन् 1972) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ब) द्वारा ूदत् त शिक्तयों को ूयोग में लाते हुए, केन् िीय शासन एतद्द्वारा िनम् न िनयम बनाता है, यथा -

1. संिक्षप् त नाम, िवः तार एवं ूारम् भ - (1) ये िनयम "वन् य ूाणी (लेन-देन और पशुओं की खाल में मसाला लगाकर तैयार करने की कला (टैक् सी डमीर्) िनयम, 1973" कहलायेगा।

(2) ये िनयम पूणर् िबहार, गुजरात, हिरयाणा, िहमाचल ूदेश, मध् यूदेश, उत् तर ूदेश राज् य में लागू होंगे।

(3) ये िनयम पूणर् 9-4-73 से ूभावशील होंगे।

2. पिरभाषाएँ - इन िनयमों में जब तक संदभर् में अन् यथा आवँ यक न हो -

(अ) "अिधिनयम" से तात् पयर् 'वन् य ूाणी (संरक्षण) अिधिनयम, 1972 (बमांक 53, वषर् 1972)' से है।
(ब) "ूारूप" से तात् पयर् इन िनयमों के साथ संलग् न ूारूप से है।
(स) "अनुज्ञिप्त" से तात् पयर् अिधिनयम के अध् याय 5 के अन् तगर्त अनुज्ञिप्त से है।
(द) "पदािधकारी" का तात् पयर् मुख् य वन् य ूाणी अिभरक्षक या अन् य कोई पदािधकारी है, िजसको राज् य शासन इन ूयोजनों के िलए राजपS में अिधसूचना द्वारा िनयुक् त करता है।
(ई) "िविनिदर्ं ट पशु" (Specified animal)से तात् पयर् कोई पशु जो अिधिनयम की अनुसूिच एक या अनुसूिच दो के भाग (2) में िविनिदर्ं ट है और जो-(1) पकड़े गये, रखे गये या बन् दीअवः था में जन् मे या (2) ूकृित में जंगली पाये गये हैं।

3. िवशेष पशुओं को िनयन् Sण, संरक्षण या कब् जे में ूाप् त करना, लेना, रखना, आिद या पशुओं की खाल में मसाला लगाकर वाः तिवक रूप से तैयार करने की ूिबया करना या साममी बनाना आिद : (1) कोई भी अनुज्ञिप्तधारी, पदािधकारी की पूवर् अनुमित के िबना -

(अ) िकसी िविनिदर्ं ट पशु या कोई पशु, उससे िनकली साममी, शाफी, िबना उपचार की शाफी, या माँस को अपने िनयंSण, संरक्षण, या कब् जे में अजर्न नहीं करेगा, नहीं लेगा, नहीं रखेगा या(ब) पशुओं की खाल में मसाला लगाकर वाः तिवक रूप से तैयार करने की ूिबया नहीं करेगा या उक् त पशु का पूरा या अंश में पशु साममी नहीं बनायेगा।

(2) उक् त अनुमित के िलये ूत् येक आवेदन ूारूप 1 में िदया जायेगा।

(3) उपिनयम (2) के अन् तगर्त आवेदन-पS ूाप् त होने पर पदािधकारी ऐसी जांच करने के बाद, जैसी वह उिचत समझे, और आवेदन पS ूाप् त होने के 15 िदन के अन् दर, अनु मित दे सकता है या अनुमित देने से अः वीकार कर सकता है :

परन् तु उक् त अनुमित तब तक नहीं दी जावेगी जब तक िक पदािधकारी इस बात से सन् तुं ट नहीं हो जाता है िक िविनिदर्ं ट पशु या पशु साममी, शाफी, िबना उपचार की शाफी या माँस, उपिनयम (1) में िविनिदर्ं ट अनुसार वैध रूप से अिजर्त िकया गया है।

(4) जब पदािधकारी अनुमित देने से अः वीकार करे तो वह ऐसा करने के िलए कारण िलखेगा और ऐसे िलखे कारणों की एक ूित अनुमित के िलए आवेदन देने वाले अनुज्ञिप्तधारी को भेजेगा।

(5) उपिनयम (3) के अन् तगर्त ूदान की गई अनुज्ञिप्त ूारूप (2) में होगी।

4. ः टाक का ूितवेदन : (1) ूत् येक अनुज्ञिप्तधारी, िजसे िनयम 3 के उपिनयम (3) के अन् तगर्त अनुमित ूदान की गई है वह िनयम 3 के उपिनयम (1) के िनदेर्शानुसार िविनिदर्ं ट पशु या पशु साममी शाफी, िबना उपचार की शाफी, या मांस के ः टाक के सम् बन् ध में ूितवेदन उसको अपने िनयंSण, संरक्षण या कब् जे में अिजर्त करने, ूाप् त करने, रखने की 1(तीन) िदनों के अन् दर उस पदािधकारी को, िजसने अनुमित ूदान की है, ूः तुत करेगा।

उक् त ूितवेदन ूाप् त होने के बाद, पदािधकारी उक् त ः टाक पर पिहचान िचन् ह अंिकत करने का ूबन् ध कर सकता है।

5. िविनिदर्ं ट पशु की िबबी आिद : (1) कोई भी अनुज्ञािप्तधारी, व् यवसायी, पदािधकारी की अनुमित द्वारा खरीदने के िलए अिधकृत व् यिक्त के अितिरक् त अन् य कोइर् िविनिदर्ं ट पशु या कोई पशु साममी, उससे ूाप् तशाफी या िबना उपचार की शाफी को नहीं बेचेगा, बेचने के िलए आमंिSत नहीं करेगा और िबबी हो आये तो बेचने वाला अनुमित को अनुज्ञिप्त व् यवसायी को दे देगा।

(2) खरीदने की अनुमित के िलए आवेदन पS ूारूप 4 में िदया जायेगा।

(3) उपिनयम (2) के अन् तगर्त आवेदन ूाप् त होने पर, पदािधकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जैसी वह उिचत समझें, और आवेदन पऽ ूाप्त होने के दस िदन के अन् दर अनुमित दे सकता है या अनुमित देने से अः वीकार कर सकता है।

(4) जब पदािधकारी अनुमित देने से अः वीकार करे तो वह ऐसा करने के िलए कारण िलखेगा और ऐसे िलखे गये कारणों की एक ूित अनुमित के िलए आवेदन देने वाले व् यिक्त को देगा।

(5) उपिनयम (3) के अन् तगर्त दी गई ूत् येक अनुमित ूारूप 5 में होगी।

(6) उपिनयम (3) के अन् तगर्त ूदान की गई अनुमित, उसके जारी होने की ितिथ से, एक माह की ितिथ तक वैध होगी।

(7) उपिनयम (1) में िनदेर्िशत ूत् येक अनुज्ञिप्तधारी, ूत् येक िबबी के समय, िविनदर्ं ट पशु या पशु साममी शाफी, या िबना उपचार की शाफी के सम् बन् ध में ूमाणक, खरीदने के िलए अिधकृत व् यिक्त को देगा।

(8) ूत् येक ूमाणक (Voucher) में िनम् निलिखत िववरण समािवं ट होंगे। यथा-

(क) ू माणक जारी करने की ितिथ।
(ख)कीमत जो ली गई या जो ली जाएगी।
(ग) माणक देने वाले अनुज्ञिप्तधारी टैक् सी डिमर्ः ट या िनमार्ता का नाम एवं पता।
(घ)िजस व् यिक्त को ूमाणक िदया गया उसका नाम एवं पता।
(ङ) अिधकृत बेता की अनुमित का बमांक।
(च)शाफी, पशु साममी का िववरण एवं संख् या।
(छ) वन् यूाणी (संरक्षण) अिधनयम, 1972 (ब. 53, वषर् 1972) की धारा 40 या 44 के अन् तगर्त क् या िबना उपचािरत शाफी/शाफी/पशु साममी को घोिषत करने की आवँ यकता थी, यिद हाँ तो क् या वे/वह घोिषत िकये गये।
(ज) ू माणक जारी करने वाले अनुज्ञिप्तधारी, टैक् सी डिमर्ः ट (Taxidermist), िनमार्ता के हः ताक्षर।(झ) िजस व् यिक्त को ूमाणक िदया उसके हः ताक्षर।

6. पशुओं की खाल में मसाला लगाकर वाः तिवक रूप से तैयार करना या पशु साममी बनाना : (1) ूत् येक अनुज्ञिप्तधारी पशुओं की खाल में मसाला लगाकर वाः तिवक रूप से तैयार करने वाला (Taxidermist) या अनुज्ञिप्तधारी िनमार्ता, शाफी या पुश साममी वापस करते समय शाफी या पशु साममी के ः वामी को ूमाणक (Voucher) देगा।

(2) ूत् येक ूमाणक में िनम् निलिखत िववरण समािवं ट होंगे। यथा -

(क) ू माणक जारी करने की ितिथ।
(ख)कीमत जो ली गई या जो ली जाएगी।
(ग) माणक देने वाले अनुज्ञिप्तधारी टैक् सी डिमर्ः ट या िनमार्ता का नाम एवं पता।(घ)िजस व् यिक्त को ूमाणक िदया गया उसका नाम एवं पता।
(ङ) अिधकृत बेता की अनुमित का बमांक।
(च)शाफी, पशु साममी का िववरण एवं संख् या।
(छ) वन् यूाणी (संरक्षण) अिधनयम, 1972 (ब. 53, वषर् 1972) की धारा 40 या 44 के अन् तगर्त क् या िबना उपचािरत शाफी/शाफी/पशु साममी को घोिषत करने की आवँ यकता थी, यिद हाँ तो क् या वे/वह घोिषत िकये गये।

7. ूमाणकों का सुरिक्षत रखा जाना : (1) िनयम (5) या (6) में िनदेर्िशत ूमाणक तीन पतों में होगा और अनुबम से संख् या अंिकत होगी।

(2) ूमाणक की िद्वतीय एवं तृतीय ू ित, अनुज्ञिप्तधारी व् यवसायी, अनुज्ञिप्तधारी टैक् सी डिमर्ः ट या अनुज्ञिप्तधारी िनमार्ता द्वारा रोकी जायेगी और ूमाणक की मूल ूित िनयम 5 के उपियम (7) या िनयम 6 के उपिनयम (1) में उिल्लखत व् यिक्त को दी जायेगी।

(3) कोरे ूमाणक वाली ूत् येक पुिःतका, उपयोग में लाये जाने के पूवर्, उक् त पुिःतका में हः ताक्षर या ः टाम् प अंिकत करने के िलए पदािधकारी के समक्ष ूः तुत की जायेगी।

(क) ू त् येक अनुज्ञिप्तधारी व् यवसायी अनुज्ञिप्तधारी टैक् सी डिमर्ः ट या अनुज्ञिप्तधारी िनमार्ण उसके द्वारा रोके गये िद्वतीय ू माणकों को ू त् येक माह के सातवें िदन तक पूरे माह के जारी व् हाउचर, पदािधकारी को भेजेगा।
(ख) अनुज्ञिप्तधारी व् यवसायी को िबबी के समय िदये गये ूत् येक अनुमित पऽ को पूवर् किथत िद्वतीय ूितयों के साथ संलग् न िकया जायेगा।

8. िविनदर्ं ट पशु पिरवहन : (1) कोई भी अनुज्ञिप्तधारी, पदािधकारी की पूवर् अनुमित के िबना िकसी िविनदर्ं ट पशु, पशु साममी, शाफी, या उससे ूाप् त िबना उपचािरत शाफी को राज् य के अन् दर एक ः थान से दूसरे ः थान को पिरविहत नहीं करेगा।

(2) उक् त अनुमित के िलये ूत् येक आवेदन पऽ ूारूप 6 में िदया जायेगा।

(3) उपनियम (2) में आवेदन ूाप् त होने पर, पदाािधकारी, ऐसी जांच के बाद, जैसी वह उिचत समझे, और आवेदन ूाप् त होने के सात िदन के अन् दर अनुमित दे सकता है या अनुमित देने से अः वीकार कर सकता है।

परन् तु उक् त अनुमित तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक िक पदाािधकारी, इस बात से सन् तुं ट नहीं हो जाता है िक िविनदर्ं ट पशु या पशु साममी, शाफी, िबना उपचार की शाफी, उपनियम (1) में िनदेर्िशत अनुसार वैध रूप से अिजर्त की गई है।

(4) जब पदाािधकारी अनुमित देने से अः वीकार करे, तो वह ऐसा करने के िलए कारण िलखेगा ओर ऐसे िलखे गये कारणों की एक ूित अनुमित के िलए आवेदन देने वाले को भेजेगा।

(5) उपनियम (3) के अन् तगर्त ूत् येक अनुज्ञिप्त ूारूप 7 में होगी।

9. अपील : (1) मुख् य वन् य ूाणी अिभरक्षक या िनयम 3 के उपनियम (3), िनयम 5 के उपनियम (3) या िनयम 3 के उपनियम (3) के अन् तगर्त अनुमित ूदान करने वाले पदाािधकारी के आदेश से असन् तुं ट कोई अनुज्ञिप्तधारी या व् यिक्त-

(अ) यिद आदेश मुख् य वन् य ूाणी अिभरक्षक के अितिरक् त अन् य पदाािधकारी द्वारा पाािरत िकया गया है तो मुख् य वन् य ूाणी अिभरक्षक को।

(ब) यिद आदेश मुख् य वन् य ूाणी अिभरक्षक द्वारा पाािरत िकया है, तो राज् य शासन को अपील कर सकता है।

(2) िनयम 1 के उपनियम (1) के अन् तगर्त मुख् य वन् य ूाणी अिभरक्षक द्वारा अपील में पाािरत आदेश के िवरूद्ध िद्वतीय अपील राज् य शासन को होगी।

(3) कोई भी अपील ः वीकार नहीं की जायेगी जब तक िक, िजस आदेश के िवरूद्ध अपील की जा रही है उसे आवेदक को ूाप् त होने के 15 िदन के अन् दर न की गइर् हो :

परन् तु अपीलीय अिधकारी पूवर् किथत अविध के समाप् त होने के बाद भी, कोई अपील ः वीकार कर सकता है, यिद वह सन् तुं ट हो जाये िक अपील समय में ूः तुत न करने के िलए अपीलाथीर् के पास समुिचत कारण है।

नोट : वन् य ूाणी या वन पशु साममी (Legal Procurement Certificate) के िविधपूवर्क ूाािप्त का ूमाण पऽ, के एक राज् य से दूसरे राज् य में िनयार्त करने के सम् बन् ध में भारत शासन, कृिष मन् ऽालय, कृिष एवं सहकाािरता िवभाग के पऽ ब. 1-21/78/PRY/(WL) िदनांक 10-2-82 के द्वारा िनदेर्िशत िकया है िक जब तक व् यवसायी (Dealer) अपनी वः तु दूसरी राज् य में िःथत, दूसरे व् यवसायी को भेजेगा तो ू ाप् त करने वाला व् यवसायी अपने राज् य के मुख् य वन अिभरक्षक से नया िविधपूवर्क, ूाािप्त का ूमाण-पऽ (Legal Procuement Certificate) ूाप् त करेगा।

ारूप "1"

(िनयम 3 का उपनियम (2) के अन् तगर्त)

िविनदर्ं ट पशु साममी आिद को अजर्न करने, ूाप् त करने, रखने के िलए या टैक् सी डमीर् की ूिबया के अन् तगर्त रखने या पशु साममी बनाने की अनुमित के िलए आवेदन पऽ,

ित,

महाशय,

मैं .... िपता का नाम .... िनवासी .... तहसील .... िजला .... ूाणी (संरक्षण) अिधनियम, 1972 (ब. 53, वषर् 1972) की धारा 44(4) के अन् तगर्त ः वीकृत अनुज्ञिप्त ब. .... धाािरत करता हूँ, ूाथर्ना करता हूँ िक मुझे िविनदर्ं ट पशु/िविनदर्ं ट पशु से ूाप् त साममी/शाफी/िबना उपचाािरत शाफी/पशु मांस/को मेरे िनयंऽण में/संरक्षण/कब् जे में अिजर्त करने/ूाप् त करने/रखने और या उक् त पशु के अंश/पूरे को टैक् सीडमीर् की ूिबया के अन् तगर्त रखने/पशु साममी बनाने की अनुमित दी जाये।

2. मैं उक् त िविनिधर्ं ट पशु/पशु साममी/शाफी/िबना उपचाािरत शाफी/मांस के सम् बन् ध में िनम् न िववरण ूः तुत करता हूँ।

(1) पशु का ूकार .... (2) संख् या .... (3) वणर्न (िलंग यिद संभव हो) .... (4) साधन िजससे ूाप् त करना है ....

(अ) पता और अनुज्ञिप्त बमांक (यिद हों) ....

(ब) क् या व. ूा. (सं.) अिधनियम, 1972 की .... धारा 40, 43, 44 के अन् तगर्त उदघोािषत हुई .... अनुमित/अनुज्ञिप्त ूाप् त की गई ....

(5) ः वाि मत् व के ूमाण पS का िववरण .... (6) पिहचान िचन् ह यिद कोई हो .... (7) ः थान जहाँ रखना है ....

(8) िनयंSण/संरक्षण/अजर्न/ूाप् त करने का ूयोजन

(9) टेक् सीडमीर् की ूिबया के अन् तगर्त रखे जाने या पशु साममी बनाने वाली : (अ) शाफी या सामिमयों की संख् या ....

(ब) उक् त शाफी/साममी का िववरण ....

(स) िकसको वापस की जावेगी ....

(द) संभािवत ितिथ िजसके अन् दर वापस की जावेंगी ....

(इ)मैं उदघोिषत करता हूँ िक मेरे ज्ञान तथा िवँ वास से उपरोक् त जानकािरयां पूणर् एवं सत् य हैं।

....

आवेदक के हः ताक्षर

ूारूप "2"

(िनयम 5 के उपिनयम (5) के अन् तगर्त)

िविनिदर्ं ट पशु/पशु साममी/को अजर्न करने, ूाप् त करने, रखने के िलए या टैक् सीडमीर् की ूिबया के अन् तगर्त रखने या पशु साममी बनाने की अनुमित।

ौी.................... वन् य ूाणी (संरक्षण) अिधनयम, 1972 (ब. 53, वषर् 1972) की धारा 44(4) के अन् तगर्त ूदत् त अनुज्ञा ब. .... के अनुज्ञिप्तधारी को एतद्द्वारा िनम् न विणर्त िविनिदर्ं ट पशु या िविनिदर्ं ट पशु से ू ाप् त पशु साममी/शाफी/िबना उपचािरत शाफी/ मांस को मेरे अपने िनयंSण/संरक्षण/कब् जा में अजर्न करने के िलए/रखने के िलए/ या उक् त पशु के अंश या पूरे को टैक् सीडमीर् की ूिबया में रखने या पशु साममी बनाने की अनुमित दी जाती है :

(1) पशु का ूकार ....

(2) वषर्न (िलंग, यिद आवेदन में िदया हो) ....

(3) संख् या ....

(4) साधन जहां से ूाप् त करना है ....

(5) साधन जहाँ से ूाप् त करना है उसक अनुज्ञिप्त ब. ....

(6) ः वािमत् व के ूमाण-पS का िववरण ....

(7) पिहचान िचन् ह यिद हो ....

(8) ः थान जहाँ रखना है .... (9) कायर् िजसके िलये िनयन् Sण/संरक्षण/कब् जा में अजर्न ूाप् त करने/रखने की अनुमित दी गई ....

(10) यिद टैक् सीटमीर् की ूिबया में रखने के िलए या पुश साममी बनाने के िलए अनुमित दी गई तो ....

(अ) बनाई जाने वाली शाफी की संख् या ....

(ब) उक् त शाफी या साममी का वणर्न ....

(स) वे िकसको वापस की जावेंगी ....

(द) संभािवत ितिथ िजसके अन् दर वापस की जावेंगी ....

मेरे द्वारा आज िदनांक .... को िनगर्िमत।

मुहर | हः ताक्षरः

थान

पिदनांक

ारूप "3"

(िनयम 4 का उपिनयम (1) के अन् तगर्त)

ः टाक का ूितवेदन

ित,

(1) अनुज्ञिप्तधारी का पूरा नाम, ...

पता ओर अनुज्ञिप्त बमांक ....

(2) ूितवेदन की ितिथ को िविनिदर्ं ट पशु का धािरत ःटाक -

(अ) ूकार और िलंग ....

(ब) संख् या .... (स) युवा या बच् चा ....

(द) ः थान जहाँ रखा है ....

(3) ूितवेदन की ितिथ को पशु सामिमयों का धािरत ः टाक -

(अ) वणर्न (िजस पशु से ूाप् त उसके ूकार सािहत) ....

(ब) संख् या .... (स) नाप या वजन ....

(द) ः थान जहाँ रखा है ....

(4) ूितवेदन की ितिथ को शाफी का धािरत ः टाक -

(अ) वणर्न (िजस पशु से ूाप् त उसके ूकार सािहत) ....

(ब) संख् या .... (स) नाप या वजन ....

(द) ः थान जहाँ रखा है ....

(5) ूितवेदन की ितिथ को िबना उपचािरत शाफी का धािरत ः टाक -

(अ) वणर्न (िजस पशु से ूाप् त उसके ूकार सािहत) ....

(ब) संख् या .... (स) नाप या वजन ....

(द) ः थान जहाँ रखा है ....

(6) िटप् पणी ....

मैं उदघोिषत करता हूँ िक मेरे पूणर् ज्ञान एवं िवँ वास से उिल्लखत जानकारी सत् य और पूणर् है।

मेरे द्वारा आज िदनांक .... को िनगर्िमत।

ः थान

िदनांक — उदघोषणा करने वाले व् यिक्त के हः ताक्षर

ारूप "4"

(िनयम 5 का उपिनयम (2) के अन् तगर्त)

िविनिदर्ं ट पशु आिद खरीदने की अनुमित के िलए आवेदन

िविनिदर्ं ट पशु साममी आिद को अजर्न करने, ूाप् त करने, रखने के िलए या टैक् सी डमीर् की ूिबया के अन् तगर्त रखने या पशु साममी बनाने की अनुमित के िलए आवेदन पS,

ित,

....

महाशय,

मैं/हम .... िनवासी .... तहसील .... िजला .... ूाथर्ना करता/करते हैं िक िनम् न विणर्त िविनिदर्ं ट पशु/िविनिदर्ं ट पशु से ूाप् त साममी/शाफी/िबना उपचािरत शाफी/अनुज्ञिप्तधारी से खरीदने के िलए मुझे/हमको अनुमित दी जाये।

(1) संख् या एवं वणर्न ....

(अ) िविनिदर्ं ट पशु ....

(ब) पशु साममी ....

(स) शाफी ....

(2) कायर् िजसके िलये खरीदी करना हैं -

(3) मैं/हम मैं उदघोिषत करता हूँ/करते हैं िक मेरे/हमारे पूणर् ज्ञान एवं िवँ वास से यहां पर दी जानकािरयाँ सत् य एवं पूणर् हैं।

ः थान

िदनांक — आवेदकों के हः ताक्षर

ारूप "5"

(िनयम 5 के उपिनयम (5) के अन् तगर्त)

िविनिदर्ं ट पशु आिद खरीदने की अनुमित।

ौी .... िनवासी .... को एतद्द्वारा िनम् न विणर्त िविनिदर्ं ट पशु/िविशं ट पशु से ूाप् त पशु साममी/शाफी/िबना उपचािरत शाफी .... से कायर् के िलए खरीदने की अनुमित दी जाती है।

वणर्न एवं संख् या -

(अ) िविनिदर्ं ट पशु ....

(ब) पशु साममी ....

(स) शाफी ....

(द) िबना उपचािरत शाफी।

मेरे द्वारा आज िदनांक .... को िनिमर्त मुहर

ः थान हः ताक्षरिदनांक

पद नोट - यह

अनुमित िनगर्मन िितथ से एक माह के अन् दर वैध रहेगी।

ारूप "6"

(िनयम 8 के उपिनयम (2) के अन् तगर्त)

(िविनिदर्ं ट पशु आिद को पिरवहन करने की अनुमित के िलये आवेदन)

ित,

....

मैं .... िनवासी .... तहसील .... िजला .... ने ू ाणी (संरक्षण अिधिनयम, 1972 (ब. 53, सन् 1972) की धारा 44(4) के अन् तगर्त ः वीकृत अनुज्ञिप्त बमांक .... धािरत करता हूँ और मुझे िनम् निलिखत पिरवहन करने की अनुमित ूदान की जावे :

(1) िविनिदर्ं ट पशु का ूकार या पशु ....
सामग्री/उपचािरत शाफी/िबना उपचार
की शाफी जो ूाप् त की गई हैं।

(2) संख् या ....

(3) वणर्न (िलंग यिद संभव हो) ....

(4) पिहचान िचन् ह यिद कोई हो ....

(5) ू ाप् त करने का साधन और .... लाईसेन् स/अनुमित बमांक ....

(6) ः वािमत् व का ूमाण-पऽ ....
यिद कोई हो।

(7) पिरवहन का ूकार ....

(8) मागर् ....

(9) पिरवहन के िलये आवँयक अविध ....

(10) पहुँच ः थान .... मैं उदघोिषत करता हूँ िक मेरे पूणर् ज्ञान एवं िवँ वास से यहाँ पर दी गई जानकािरयाँ सत् य और पूणर् हैं।

ः थान

िदनांक आवेदक के हः ताक्षर

ारूप "7"

(िनयम 8 के उपिनयम (5) के अन् तगर्त)

(िविनिदर्ं ट पशु आिद को पिरवहन करने की अनुमित के िलये आवेदन)

ौी .... वन् य ूाणी (संरक्षण) अिधिनयम, 1972 (ब. 53, वषर् 1972) की धारा 44(4) के अन् तगर्त ूदत् त अनुज्ञा बमांक .... के अनुज्ञिप्तधारी को एतद्द्वारा िनम् न िविनिश्चत ूकार के िविनिदर्ं ट पशु/से ूाप् त पशु सामग्री-शाफी-अन उपचािरत शाफी को .... तक पिरवहन करने की अनुमित दी जाती है।

(1) पिरवहन का ूकार ....

(2) मागर् ....

(3) पिरवहन के िलए ः वीकृत अविध ....

(4) कैिफयत ....

मुहर

ः थान हः ताक्षर

िदनांक पद

जो अनावँ यक हो, काट दें।